



भारत सरकार

वस्त्र मंत्रालय

पावर डेवल्पमेंट
द्वालिया



विद्युतकरघा क्षेत्र विकास के लिये बृहत योजना

भारत में विद्युत करघा उद्योग

हमारे देश में समग्र वस्त्र मूल्य शृंखला में विद्युतकरघों का प्रमुख स्थान है। 2013 में किये गये विद्युतकरघा सर्वेक्षण के अनुसार, विकेंद्रित क्षेत्र में 24.86 लाख विद्युतकरघे हैं, जिसमें से 1.03 लाख (4.1%) शटललेस करघे हैं। यह कुल वस्त्र उत्पादन के 57% हैं तथा लगभग 44.86 लाख व्यक्तियों को रोजगार प्रदान करते हैं।

विद्युतकरघा बुनकरों की समस्याओं तथा इस क्षेत्र के निम्न प्रौद्योगिकी स्तर को देखते हुए सरकार ने बहुआयामी योजनाओं के माध्यम से तथा हस्तक्षेप से विद्युकरघा क्षेत्र के विकास पर अपना ध्यान केंद्रित किया है। विद्युतकरघा क्षेत्र के विकास के लिये एकीकृत योजना (आईएसपीएसडी) 11 वीं पंचवर्षीय योजना में आरंभ की थी। यह योजना विकेंद्रित विद्युतकरघा क्षेत्र के लिये अत्यंत लाभकारी है तथा इसे यार्न बैंक, टैक्स वेंचर फन्ड तथा सामान्य सुविधा केन्द्र जैसे अतिरिक्त घटकों के साथ 12 वीं पंचवर्षीय योजना में बढ़ाया गया, जिससे कि आर्थिक दृष्टि से कमजोर बुनकरों एवं विद्युतकरघा क्षेत्र के समग्र विकास को सहायता मिल सके।

12 वीं पंचवर्षीय योजना में एक नयी योजना - लघु उद्योग क्षेत्र में सादे विद्युतकरघों का स्वस्थाने उन्नयन आरंभ की गई, जिसका लक्ष्य, गुणवत्ता सुधार के लिये 1 लाख विद्युतकरघों को अतिरिक्त उपकरण लगाना है।

पावर टेक्स इंडिया (विद्युतकरघा क्षेत्र के विकास के लिये बृहत योजना)

विद्युतकरघा क्षेत्र की महसूस की गई जरूरतों को पूरा करने के लिये ये योजनाएं अब अतिरिक्त घटकों के साथ आशोधित की गई हैं और नई योजनाएं जोड़ी गई हैं। इन नई योजनाओं में सौर ऊर्जा योजना तथा विद्युतकरघा बुनकरों के लिये प्रधान मंत्री क्रेडिट योजना शामिल है। अतिरिक्त घटकों में जागरूकता निर्माण करना तथा विद्युतकरघा योजनाओं की प्रसिध्दि, सरलीकरण सेवाएं तथा सूचना प्रौद्योगिकी की ऑनलाइन सेवाएं उपलब्ध कराना शामिल है। समूह वर्कशेड योजना सामान्य सुविधा केन्द्र, यार्न बैंक तथा सादे विद्युत करघों का स्वस्थाने उन्नयन की मौजूदा योजनाओं को तर्कसंगत बनाया गया है तथा उनका उन्नयन किया गया है। इन सभी विशेषताओं से युक्त बृहत योजना अब “विद्युत करघा क्षेत्र के विकास के लिये बृहत योजना (सी एसपीएसडी)” के नाम से आरंभ की गई है, जो 01 अप्रैल 2017 को लागू होगी तथा मार्च 2020 तक की अवधि तक लागू रहेगी।

पावर टेक्स योजना के घटक

- सादे विद्युतकरघों का स्वस्थाने उन्नयन
- समूह वर्कशेड योजना (जीडब्ल्यूएस)
- यार्न बैंकयोजना
- सामान्य सुविधा केन्द्र (सीएफसी)
- विद्युत करघा बुनकरों के लिये
- प्रधान मंत्री क्रेडिटयोजना
- विद्युत करघों के लिये सौर ऊर्जायोजना
- विद्युतकरघायोजनाओं के लिये सरलीकरण, आई.टी., जागरूकता, विपणन विकास तथा प्रसिद्धि
- टेक्स वेन्चर कैपिटल फंड

अन्य योजनाएँ

- आशोधित प्रौद्योगिकी उन्नयन निधि
- आशोधित कौशल विकास योजना (आईएसडीएस)
- युनिवर्सल बीमा कवरेज योजना
- आशोधित बृहत विद्युतकरघा समूह विकास योजना (एमसीपीसीडीएस)



सादे विद्युतकरघों के लिये स्वरूपने उपयन

उद्देश्य

- कुछ अतिरिक्त उपकरण / किट जोड़कर मौजूदा सादे करघों को अर्ध स्वचालित/शटललेस करघों में उन्नयन करने हेतु। आर्थिक दृष्टि से कमजोर छोटी विद्युतकरघा इकाइयों को वित्तीय सहायता प्रदान करना।
- उत्पादन किये जाने वाले कपड़े की गुणवत्ता तथा उत्पादकता में सुधार लाना तथा घरेलू तथा अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में प्रतिस्पर्धा का सामना करने के लिये उन्हें सक्षम बनाना।

पात्रता

- विद्युतकरघा इकाई, जिसमें कम से कम 8 करघे हों

मौजूदा सादे विद्युतकरघों के लिये उपकरण :-

- वार्प स्टॉप मोशन
- वेफ्ट स्टॉप मोशन
- एफिशिएंट ब्रेकिंग डिवाइस
- मेटालिक उपकरणों के स्थान पर सेल्फ लुब्रिकेटिंग उपकरण लगाना
- जेक्वार्ड / डॉबी
- एन्टी क्रैक डिवाइस
- सेमी पॉजिटिव लेट ऑफ मोशन
- पर्न वाइंडिंग मशीन
- रैपियर किट

सहायता सारणी

अनु. क्र.	उन्नयन का प्रकार	प्रति करघा सहायता की मात्रा		
		सामान्य (50%)	अनु.जा. (75%)	अनु.ज.जा.(90%)
1	सादे करघे से अर्ध स्वचालित करघा	रु. 20,000	रु. 30,000	रु. 36,000
2	अर्ध स्वचालित करघे से शटललेस रैपियर करघा	रु. 25,000	रु. 37,500	रु. 45,000
3	सादे करघे से शटललेस रैपियर लूम	रु. 45,000	रु. 67,500	रु. 81,000



वार्प स्टॉप मोशन



जेक्वार्ड



डॉबी

समूह वर्कशेड योजना (जीडब्ल्यूएस)

उद्देश्य

- मौजूदा अथवा नये क्लस्टर में शटललेस करघों के लिये वर्कशेड संस्थापित करने के लिये सुविधा प्रदान करना, जो व्यापार संबंधी कार्यों के लिये आवश्यक अर्थव्यवस्था के पैमाने प्रदान करेगी।
- क्लस्टर में विद्युतकरघा इकाइयों संगठित करना तथा अधिक जगह, कार्य माहौल की सुधारित कार्यास्थिति उपलब्ध कराना, वैश्विक बाजार में उनकी प्रतिस्पर्धात्मकता बढ़ाने के लिये काम की सक्षमता में सुधार लाना

पात्र लाभार्थी

- राज्य सरकार (अथवा) इसका अभिकरण
- पंजीकृत सहकारी सोसायटी
- कंपनी अधिनियम, 1956 यथा आशोधित के अन्तर्गत स्थापित कंपनी (अथवा) विद्युत करघा धारकों (कम से कम चार लाभार्थी) द्वारा सीमित दायित्व भागीदारी अधिनियम, 2008, यथा आशोधित के तहत स्थापित फर्म।
- स्थानिक विद्युतकरघा संघ

पात्रता

- समूह में कम से कम 4 बुनकर / उद्यमी होंगे, जिनका स्वतंत्र विधिक अस्तिव होगा।
- 230 सेमी चौड़ाई के कम से कम 24 शटललेस करघे (अथवा) अधिक चौड़ाई अर्थात् 230 सेमी के 16 करघे स्थापित किये जाने चाहिये।
- प्रत्येक लाभार्थी के पास कम से कम 4 करघे हों।
- केवल टफ्स सुसंगत मशीनरी ही संस्थापित की जाए।

अधिकतम पात्र क्षेत्र

- शटललेस करघे : 400 वर्गफीट/ करघा
- बुनाई प्रारंभिक : करघा क्षेत्र का 40%
- छात्रावास : 125 वर्गफीट/व्यक्ति

सहायता चार्ट

अनु.क्र.	श्रेणी	विनिर्माण की लागत पर पात्र सहायता	प्रति वर्गफीट सहायता की अधिकतम सीमा
1	सामान्य	40%	₹. 400
2	अनु.जा.	75%	₹. 750
3	अनु. ज. जा.	90%	₹. 900



यार्न बैंक योजना

उद्देश्य

- थोक दर पर यार्न की खरीदी एवं छोटे बुनकरों को उचित दर पर यार्न को उपलब्ध कराना सुकर बनाने के लिये विशेष प्रयोजनार्थ संस्था (एसपीवी) कंर्सोटियम को कार्पस फंड उपलब्ध कराना जिससे वे यार्न थोक भाव में खरीद सकें और छोटे बुनकरों को सस्ते भाव में यार्न उपलब्ध करा सकें।
- यार्न की बिक्री पर बिचौलिया/स्थानिक आपूर्तिकर्ता को दलाली प्रभार देने से बचना।

पात्र लाभार्थी


- पंजीकृत सहकारी सोसायटी
- न्यास
- कंपनी अधिनियम, 1956 यथा आशोधित के तहत स्थापित कंपनी
- सीमित दायित्व भागीदारी अधिनियम 2008 यथा आशोधित के तहत स्थापित फर्म

पात्रता

- विशेष प्रयोजनार्थ संस्था(एसपीवी) बनाने के लिये कम से कम 11 सदस्य आवश्यक हैं।
- एसपीवी के सदस्य विद्युत करघा बुनकर, कुशल बुनकर, सहकारी संस्थाएं, निजी उद्यमी, विद्युतकरघा क्षेत्र के लिये काम करने वाले गैर- सरकारी संगठन शामिल हैं।
- एसपीवी द्वारा भारत सरकार के हिस्से की 25% की सीमा तक बैंक गारंटी उपलब्ध करानी होगी ।
- एसपीवी को स्वयं सरकारी अंशदान के समकक्ष ही निधि की व्यवस्था करनी होगी ।
- एसपीवी को उनके अंशदान सहित कॉर्पस फंड को वर्ष में कम से 4-5 बार घुमाना होगा ।

वित्तीय सहायता

- सरकार एसपीवी/संघ को प्रति यार्न बैंक अधिकतम रु. 200 लाख का ब्याज मुक्त कॉर्पस फंड प्रदान करेगी ।



सामान्य सुविधा केन्द्र (सीएफसी)

उद्देश्य

- निम्न सामान्य सविधा केन्द्र की स्थापना के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जायेगी:- डिजाइन सेन्टर / स्टूडियो, परीक्षण सुविधाओं, प्रशिक्षण केन्द्र, सूचना सह व्यापार केन्द्र एवं सामान्य कच्चा माल / यार्न / बिक्री डिपो, औद्योगिक उपयोग हेतु जल संशोधन केन्द्र, शयनगार, कर्मचारियों के रहने हेतु स्थान के लिए बुनाई से पहले की सुविधाओं जैसे यार्न रंगाई, रैंपिंग और साइजिंग, ऐंठन इत्यादि और बुनाई के बाद की सुविधाएं जैसे प्रौसेसिंग इत्यादि ।

योग्य लाभार्थी :-

- राज्य सरकार (अथवा) उसका कोई अभिकरण
- पंजीकृत सहकारी सोसायटी
- न्यास
- कम्पनी अधिनियम 1956 यथा आशोधित के अंतर्गत गठित कम्पनी
- सिमित दायित्व भागीदारी अधिनियम 2008 यथा आशोधित के तहत गठित फर्म ।

योग्यता :-

- न्यूनतम 11 सदस्यों की आवश्यकता विशेष प्रयोजनार्थ संस्था (एसपीवी) हेतु होगी
- विशेष प्रयोजनार्थ संस्था के सदस्य अनिवार्यतः विद्युत करघा बुनकर, मास्टर बुनकर सहकारी सोसायटियां, निजी उद्यमी, विद्युत करघा क्षेत्रों के लिए कार्यरत एनजीओ होंगे ।
- विशेष प्रयोजनार्थ संस्था (एसपीवी) के पास अपनी जमीन / भवन (अथवा) पट्टे पर जमीन / विशेष प्रयोजनार्थ संस्था के पक्ष में पंजीकृत भवन न्यूनतम 10 वर्षों हेतु होना चाहिए ।
- केवलटफ सुसंगत मशीने ही लगाई जानी चाहिए ।

वित्तीय सहायता

- सरकार प्रत्येक सामान्य सुविधा केन्द्र के लिए अधिकतम 200 लाख की सहायिकी प्रदान करेगी ।

सहायिकी चार्ट :-

क्र.सं.	क्लस्टर ग्रेड	परियोजना की लागत पर अधिकतम वित्तीय सहायता
1	ए	60 प्रतिशत
2	बी	70 प्रतिशत
3	सी	80 प्रतिशत
4	डी एवं पूर्वतर में स्थित क्लस्टर / जमू एवं कश्मीर	90 प्रतिशत



प्रधानमंत्री की विद्युत करघा बुनकरों हेतु क्रेडिट योजना

उद्देश्य

- क्रेडिट सुविधा के समक्ष उन विद्युत करघा इकाईयों / बुनकरों को जिन्होंने प्रधानमंत्री मुद्रा योजना (पीएमएमवाई) के अंतर्गत मार्जिन मनी सहायिकी एवं ब्याज की प्रतिपूर्ति का लाभ लिया हो उन्हें उनके द्वारा ली गई क्रेडिट सुविधा हेतु वित्तीय सहायता दी जायेगी ।
- स्टैण्ड अप इंडिया योजना के तहत विकेन्द्रीकृत विद्युत करघा इकाई / बुनकर जो अनुसूचित जाति, अनुसूचित जन जाति एवं महिला उद्यमी हों उनके द्वारा मार्जिन मनी सहायिकी क्रेडिट सुविधा (आवधिक ऋण) के समक्ष लिये गये लाभ हेतु जो निवेश की आवश्यकताओं (आवधिक ऋण) और कार्यशील पूँजी इत्यादि के लिए हों, इसमें शामिल होंगे ।

प्रधानमंत्री मुद्रा योजना (पीएमएमवाई) योग्य लाभार्थी

- मौजूदा व्यक्तिगत विद्युत करघा इकाई धारक (या) नवीन व्यक्तिगत विद्युत करघा धारक / समूह उपक्रम जो बुनाई की गतिविधियों में लगे हों, इसमें शामिल होंगे ।

पीएमएमवाई - वित्तीय सहायता


- मार्जिन मनी सहायकी @ 20% परियोजना लागत जिसकी अधिकतम सीमा रु. एक लाख होगी ।
- ब्याज सहायता @ 6% प्रतिवर्ष, कार्यशील एवं आवधिक ऋण दोनो मामलों में यह राशि अधिकतम रु. 10 लाख तक की होगी, जो अधिकतम 5 वर्ष के लिए होगा ।

स्टैण्ड अप इंडिया - पात्र लाभार्थी

- इस योजना में केवल अनुसूचित जाति अथवा अनुसूचित जन जाति के व्यक्ति अथवा महिला उद्यमी द्वारा स्थापित विद्युत करघा इकाईयाँ ही लाभ के प्राप्ति की पात्र होंगी ।
- ऐसे मामलों जहाँ विद्युत करघा इकाईयां गैर-व्यक्तिगत हैं वहाँ कम से कम 51 प्रतिशत शेयर धारक तथा नियंत्रक अंशधारक जो अनुसूचित जाति अथवा अनुसूचित जन जाति अथवा महिला उद्यमी हो वे लाभ प्राप्ति के पात्र होंगे ।

स्टैण्ड अप इंडिया - वित्तीय सहायता

- परियोजना में लागत का 25 प्रतिशत मार्जिन मनी सहायिकी अधिकतम परियोजना लागत रु. 1.00 करोड़ के लिये रु. 25 लाख की सीमा तक दी जायेगी, प्राप्तकर्ता से अपेक्षित है कि वह परियोजना लागत का 10% अपना अंशदान का निजी निवेश करें ।



विद्युत करघा के लिए सौर ऊर्जा योजना

उद्देश्य

- ग्रीड सोलर फोटो वोल्टीक प्लान्ट (बिना बैटरी बैक अप) के एवं ऑफ ग्रीड सोलर फोटो वोल्टीक प्लान्ट (बैटरी बैक अप सहित) छोटे विद्युत करघा इकाइयों को वित्तीय सहायता / पूँजीगत आर्थिक सहायिकी प्रदान की जाएगी जिससे उन्हें विद्युत की कमी एवं कटौती से राहत मिल सकें।

पात्रता

- विद्युत करघा की ऐसी इकाई जिनमें 8 करघें तक लगे हों।
- वस्त्र आयुक्त के संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा जारी विद्युत करघा अनुज्ञा पत्र / पावती होनी चाहिए।
- इकाई के पास शेड रहित छत / जगह होनी चाहिए।

सम्पर्कीय चार्ट

करघों की संख्या (सोलर क्षमता)	सामान्य (50%)	अनुसूचित जाति (75%)	अनुसूचित जन जाति (90%)
ए) आँन ग्रीड पॉवर प्लॉन्ट			
4 करघा (4 किलो वॉट)	₹. 2,25,000	₹. 3,37,500	₹. 4,05,000
6 करघा (6 किलो वॉट)	₹. 3,00,000	₹. 4,50,000	₹. 5,40,000
8 करघा (8 किलो वॉट)	₹. 3,75,000	₹. 5,62,500	₹. 6,75,000
बी) ऑफ ग्रीड पॉवर प्लॉन्ट			
4 करघा (4 किलो वॉट)	₹. 2,75,000	₹. 4,12,500	₹. 4,95,000
6 करघा (6 किलो वॉट)	₹. 3,75,000	₹. 5,62,500	₹. 6,75,000
8 करघा (8 किलो वॉट)	₹. 4,75,000	₹. 7,12,500	₹. 8,55,000




सहायता, आईटी, जागरूकता, बाजार विकास एवं प्रचार

उद्देश्य

- विकेन्द्रीकृत विद्युत करघा क्षेत्र के विकासात्मक मॉडल को बढ़ाना एवं उसके बारे में जागरूकता पैदा करना ।
- इस योजना, कार्यक्रम के स्वरूप एवं इसके फायदे के बारे में प्रचार कर जानकारी देना ।
- इसके प्रचार-प्रसार के लिए योग्य वातावरण बनाया जाए ।
- विद्युत करघा योजनाओं कार्यक्रमों का विस्तृत प्रचार किया जाए इसके लिए प्रसंग आधारित प्रचार आदि को सम्मिलित किया जाए जिनमें इलेक्ट्रॉनिक, प्रिन्ट, फिल्म मीडिया, मल्टी मीडिया को शामिल किया जाए ।
- स्वैच्छिक क्रियाओं को बढ़ावा दिया जाए जिससे इस योजना एवं कार्यक्रम का प्रभावी कार्यान्वयन सुनिश्चित किया जा सके ।
- विद्युत करघा के उत्पादों के बढ़ावा देने के लिए क्रेता-विक्रेता एवं विक्रेता-क्रेता बैठकों का आयोजन किया जाए ।

निम्न के लिए वित्तीय सहायता

- सहायता केन्द्र
- सरकार की विद्युत करघों के लिए योजनाओं की जानकारी को प्रसारित किया जाए ।
- विद्युत करघा उद्यमियों के लिए बैंकों से सम्पर्क करके इसे सुगम बनाया जाए ।
- विद्युत करघा बुनकरों के लिए समर्पित हेल्प लाइन नंबर का गठन ।
- उपयोगकर्ताओं के लिए आसान वेब पोर्टल ।
- विद्युत करघा बुनकरों के लाभ प्राप्ति / सुविधा हेतु पंजीकरण ।
- विद्युत करघा क्षेत्र में होनेवाली नई पहलों एवं विकास संबंधी एसएमएस अलर्ट
- उद्यमी प्रकोष्ठ, डिजाईन एवं तकनीकी उन्नति ।
- ऑनलाइन पोर्टल / मोबाइल अप्लीकेशन के आईटी विकास जिसमें भारत सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाओं की जानकारी आसानी से सुलभ की जाय ।
- जागरूकता एवं बाजार विकास कार्यक्रम :- संगोष्ठी / कार्यशाला, क्रेता-विक्रेता बैठकें, अंतराष्ट्रिय कार्यक्रम जैसे विक्रेता-क्रेता बैठकें, विद्युत करघा उत्पादों के विपणन के लिए ई-प्लेटफॉर्म, बुनकरों के ज्ञानार्जन हेतु यात्राएं तथा विषेश जरूरतों के लिए अध्यन करना सर्वे एवं मूल्यांकन कार्यक्रमों आदि का आयोजन किया जाए ।
- इलेक्ट्रॉनिक एवं प्रिन्टमीडियाँ में प्रचार किया जाए ।



टेक्स - वैचर कैपीटल फन्ड

उद्देश्य

- एसआईडीबीआई वैचर कैपीटल फंड लिमिटेड (एसवीसीएल) वस्त्र मंत्रालय की ओर से एमएसएमई के इक्विटी में निवेश करता है जिसके उद्यम का विस्तार प्रारंभ किया जा सके।
- यह निवेश निजी विद्युत करघा के अभिनव एमएसएमई कम्पनियों में किया जायेगा।

वित्तीय सहायता

- परियोजना लागत का अधिकतम 50 प्रतिशत जिसकी अधिकतम सीमा रूपये 3 करोड़ का निवेश एसवीसीएल में होगा।

निवेश निम्न पर किया जायेगा

- इक्विटी शयरों एवं / अथवा परिवर्तनीय इन्स्ट्रूमेंटों जिन्हें वस्त्र क्षेत्र के माइक्रो एवं लघु उद्यम में बदला जा सके।
- अभिनव प्राइवेट एमएसई कम्पनियों जो कि विद्युत करघा क्षेत्र के विनिर्माण एवं सेवाओं में लगी हों।
- नये उत्पाद एवं प्रौद्योगिकी अथवा अभिनव व्यवसाय माडल जिनमें उपभोक्ताओं को बेहतर गुणवता की वस्तुओं को प्रदान करने की क्षमता हो को वरीयता दी जायेगी।
- वे कम्पनियां जो विस्तार कर हों जिसकी अच्छी वित्तीय स्थिति हो उन्हें भी वित्तीय सहायता योजना के नियमानुसार लाभ दिया जाएगा।

विद्युतकरघा सेवा केन्द्रों को अनुदान सहायता तथा आधुनिकीकरण तथा उन्नयन

वित्तीय सहायता

- वस्त्र आयुक्त कार्यालय के 15 विद्युतकरघा सेवा केन्द्र 26 वस्त्र अनुसंधान संघ (टीआरए) 6 राज्य सरकार के वि.क.से. केन्द्र, विद्युतकरघा क्षेत्र को सरकार की ओर से प्रशिक्षण, नमूना प्रशिक्षण, डिजाइन निर्माण, परामर्श, संगोष्ठी / कार्यशाला का आयोजन आदि सुविधाएं उपलब्ध कराते हैं।
- टीआरए/राज्य सरकारी अभिकरणों को विद्युतकरघा केन्द्रों को चलाने के लिये आने वाले खर्च को पूरा करने के लिए अनुदान सहायता दी जाती है।
- विद्युतकरघा सेवा केन्द्रों को आधुनिकीकरण तथा उन्नयन के लिये, क्लस्टर के लिये आवश्यक सुविधाओं सहित सरकारी सहायता प्रदान की जाएगी। इसमें परीक्षण सुविधाएं एवं उपलब्ध आधुनिक प्रौद्योगिकियों के बारे में जागरूकता निर्माण करने की दृष्टि से आधुनिक विद्युत करघे स्थापित करना एवं प्रशिक्षण देना शामिल है। इसके अतिरिक्त विद्युतकरघा सेवा केन्द्रों को प्रारंभिक मशीनें, परीक्षण, उपकरण, गारमेंट तथा एपरल के लिये सिलाई मशीनें, एम्बॉयडरी मशीनें, डिजाइन निर्माण सुविधाएं आदि उपलब्ध की जाएगी।

आशोधित प्रौद्योगिकी उन्नयन निधि योजना (एटप्स)

उद्देश्य

- रोजगार तथा वस्त्र मूल्य शृंखला के प्रौद्योगिकी गहन खंडों में निवेश के लिये एक बार पूंजी सहायता प्रदान करना।

निम्नलिखित हेतु 10% पूंजी निवेश सब्सिडी (सीआईएस) बशर्ते कि रु. 20 करोड़ की अधिकतम सीमा हो :

- नये शटललेस करघे
- बुनाई प्रारंभिक
- प्रोसेसिंग
- समिश्रित इकाई / विभिन्न खंड (यदि गर में टिंग तथा
- तकनीकी वस्त्रों में पात्र निवेश पात्र परियोजना लागत के 50% से कम हो।

आशोधित बृहत विद्युतकरघा समूह विकास योजना (एमसीपीसीडीएस)

उद्देश्य

- उत्पादन शृंखला एकीकृत करने के लिये विश्वस्तरीय आधारभूत सुविधाओं का निर्माण करना, जिससे कि स्थानीय छोटे तथा मध्यम उद्यमियों (एसएमई) की व्यापार की आवश्यकताओं की पूर्ति हो सके तथा उत्पादन एवं निर्यात को प्रोत्साहन मिल सके।
- आधारभूत सुविधाओं का विकास, सामान्य सुविधाएं आवश्यकता के आधार पर अभिनव कार्य, प्रौद्योगिक उन्नयन तथा कौशल विकास
- ब्राउनफिल्ड क्लस्टरों में आधारभूत सुविधाओं तथा सामान्य सुविधाओं में आने वाली बाधाओं से उबरना।

पात्र घटक

- पूर्व की तथा बाद की बुनाई प्रक्रिया के लिये सामान्य सुविधा केन्द्र (सीएससी), बुनियादी सुविधाओं से युक्त वर्कशेड, अभिनव कल्पना तथा अन्य आवश्यकता आधारित हस्तक्षेप।

वित्तीय सहायता

- सरकारी (60) : निजी (40) के अनुपात में सुसंगत निवेश
- भारत सरकार रु. 50 करोड़ तक की अधिकतम सीमा के साथ परियोजना लागत की 60% तक सहायता प्रदान करता है।

सार्वभौमिक बीमा कवरेज योजना

उद्देश्य

- विद्युतकरघा बुनकरों को सामान्य मृत्यु, दुर्घटना से आकस्मिक मृत्यु तथा दुर्घटना के कारण आंशिक / स्थायी विकलांगता की स्थिति में बीमा कवर प्रदान करना ।

पात्रता

- 18 से 59 साल की उम्र के विद्युतकरघा बुनकर

किश्त

द्वारा अंशदान	50 वर्ष से ऊपर		50 वर्ष से कम	
	पीएमजेजेबीवाई	पीएमएसबीवाई	पीएमजेजेबीवाई	पीएमएसबीवाई
लाभार्थी	रु. 80	—	रु. 80	—
एलआईसी	रु. 100	—	रु. 100	—
वस्त्र मंत्रालय	रु. 582	रु. 12	रु. 150	रु. 12
कुल किश्त	रु. 774		रु. 342	

लाभ

निम्नलिखित पर बीमा कवरेज	योजनाएँ*		कुल लाभ
	पीएमजेजेबीवाई	पीएमएसबीवाई	पीएमजेजेबीवाई + पीएमएसबीवाई
सामान्य मृत्यु	रु. 2,00,000	—	रु. 2,00,000
दुर्घटना से मृत्यु	रु. 2,00,000	रु. 2,00,000	रु. 4,00,000
स्थायी विकलांगता	—	रु. 2,00,000	रु. 2,00,000
आंशिक विकलांगता	—	रु. 1,00,000	रु. 1,00,000

पीएमजेजेबीवाई :- प्रधान मंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना

पीएमएसबीवाई :- प्रधान मंत्री सुरक्षा बीमा योजना

*यह योजना 01/06/2017 से लागू होगी।

एकीकृत कौशल विकास योजना (आईएसडीएस)

उद्देश्य

- वस्त्र उद्योग के अपैरल एवं अन्य क्षेत्रों की जरूरतों के महेनजर विशिष्ट कौशल विकास प्रशिक्षण उपलब्ध कराना ।
- प्रशिक्षित व्यक्तियों को संबंधित क्षेत्रों में रोजगार दिलाना ।

कार्यान्वयन का माध्यम

- वस्त्र मंत्रालय के अधीन संस्थान/वस्त्र अनुसंधान संगठन - 5 लाख प्रशिक्षणार्थी
- राज्य सरकार के अभिकरण - 5 लाख प्रशिक्षणार्थी
- प्राइवेट बॉडीज इन प्राइवेट पार्टनर्शिप- 5 लाख प्रशिक्षणार्थी

सहायता की मात्रा

- लागत का 75 प्रतिशत जोकि रु. 10,000/- प्रति व्यक्ति तक अधिकतम होगी । शेष 25 प्रतिशत की राशि की लागू करता एजेन्सी द्वारा व्यवस्था की जायेगी ।

क्षेत्रीय कार्यालय

गुजरात

प्रभारी अधिकारी

वस्त्र आयुक्त का क्षेत्रीय कार्यालय,
पीपल्स को.ओप.बैंक बिल्डिंग, भद्रा,
अहमदाबाद - 380 001
दूरभाष : 079-25391899
फैक्स : 079-25350366
ईमेल : ahmedabad-rotxc@nic.in

पंजाब

प्रभारी अधिकारी

वस्त्र आयुक्त का क्षेत्रीय कार्यालय,
पी.ओ.रेयॉन सिल्क मिल्स,
पॉलीटेक्नीक रोड, छेहत्तरा,
अमृतसर - 143 104
दूरभाष : 0183-2586430
फैक्स : 0183-2586380
ईमेल : rotxcasr@gmail.com / amritsar-rotxc@nic.in

कर्नाटक

प्रभारी अधिकारी

वस्त्र आयुक्त का क्षेत्रीय कार्यालय,
शेड नं. 7/8 वीआईटीसी एक्सपोर्ट भवन,
488/बी, 14 वाँ क्रॉस, पीनथा 2 रा स्टेज,
पीनथा इंडस्ट्रीयल एरिया, बैंगलूर - 560 058
दूरभाष : 080-28367439
फैक्स : 080-28367539
ईमेल : textilebangalore@gmail.com

पश्चिम बंगाल

प्रभारी अधिकारी

वस्त्र आयुक्त का क्षेत्रीय कार्यालय,
बहुतलीय कार्यालय भवन, (एम.एस.ओ.विल्डिंग)
तृतीय तल, (सब ब्लॉक ए अन्ड सी)
ब्लॉक डी. एफ साल्ट लेक सिटी, कोलकत्ता - 700 064
दूरभाष : 033-23344998
फैक्स : 033-23340789
ईमेल : rotxckol@gmail.com / kolkata-rotxc@nic.in

आंध्र प्रदेश

प्रभारी अधिकारी

वस्त्र आयुक्त का क्षेत्रीय कार्यालय,
3-28-18/1, प्रथम तल, नॉरविच टावर,
2nd लेन, बृद्धांवन गार्डन, गुंतुर,
आन्ध्र प्रदेश - 522006
दूरभाष : 0863-2261412
ईमेल : gunturrotxc@gov.in

तमिलनाडु

प्रभारी अधिकारी

वस्त्र आयुक्त का क्षेत्रीय कार्यालय,
चिंतामणी को.ओप.सुपर मार्केट कॉम्प्लेक्स,
पी.एस.पुरम, मेट्टुपालायम रोड,
कोयम्बतूर - 641 002
दूरभाष : 0422-2543403
फैक्स : 0422-2543403
ईमेल : combatore-rotxc@nic.in/ rotxc@yahoo.com

महाराष्ट्र

प्रभारी अधिकारी

वस्त्र आयुक्त का क्षेत्रीय कार्यालय,
केन्द्रीय सदन, 5 वी मंजिल, 'सी' विंग,
रिजव बैंक ऑफ इंडिया के पास, निर्मला देवी मार्ग,
सेक्टर - 10, सी.बी.डी. बेलापुर, नवी मुंबई - 400 0614
दूरभाष : 022-27562629
फैक्स : 022-27562629
ईमेल : mumbai-rotxc@nic.in / rotxcmumbai@gmail.com

उत्तर प्रदेश

प्रभारी अधिकारी

वस्त्र आयुक्त का क्षेत्रीय कार्यालय,
सी - 97, सेक्टर - 02,
नोएडा - 201 301
दूरभाष : 0120-2522954
फैक्स : 0120-2558731
ईमेल : rotxcnoida@gmail.com
noida-rotxc@nic.in

क्षेत्रीय कार्यालय का सब ऑफीस

प्रभारी अधिकारी

वस्त्र आयुक्त का क्षेत्रीय कार्यालय,
181 - 184, प्रथम तल, शारदा नगर,
कानपूर - 208 024 (उ.प्र.)
दूरभाष : 0512 - 2581063
ईमेल : rotxckan@gmail.com

मध्य प्रदेश

प्रभारी अधिकारी

वस्त्र आयुक्त का क्षेत्रीय कार्यालय,
कारपोरेट बैंक, रेडीमेड गारमेंट कॉम्प्लेक्स,
परदेशी पुरा, इंदौर - 452 011
दूरभाष : 0731-2572261,2572262
ईमेल : rotxcind@gmail.com

विद्युत कर्धा सेवा केन्द्र

ગુજરાત

સહાયક નિદેશક એવં પ્રભારી અધિકારી
વિદ્યુત કરઘા સેવા કેન્દ્ર,
407/410, એ.કે.રોડ,
જી.આઇ.ડી.સી. ઇંડસ્ટ્રીયલ ઇસ્ટેટ,
કાતરગાંવ, સૂરત -395 008, ગુજરાત
દૂરભાષ : 0261-2481249
ફૈક્સ : 0261-2488643
ઈમેલ : pscsurat@gmail.com

પ્રભારી અધિકારી
વિદ્યુત કરઘા સેવા કેન્દ્ર,
ઉમરગાંવ ઇંડસ્ટ્રીયલ એસોસિશન,
C-1/14 GIDC ઇંડસ્ટ્રીયલ ઇસ્ટેટ,
ઉમરગાંવ, જિલા-વલસાડ - 396 171
ફોન : 260-2563263
ફૈક્સ : 0260-2563263
ઈ-મેલ : pscumg@gmail.com

પ્રભારી અધિકારી
અટિરા, વિદ્યુત કરઘા સેવા કેન્દ્ર,
પોસ્ટ અંબાવાડી વિસ્તાર,
અહમદાબાદ - 380015
ફોન : 079-26307921,22,23
ઈ મેલ : atiraad1@sancharnet.in

પ્રભારી અધિકારી
મંત્રા, વિદ્યુત કર્ધા સેવા કેન્દ્ર,
ઉદ્યોગ ભારતી સ્કૂલ કે બાજુ મેં,
જીઆઈડીસી કાલોની,
કામનાથ મહાદેવ ટેમ્પલ લેન ,
પોસ્ટ પાંડેસરા, જિલા-સૂરત 394 221
ફોન : 0261-2895745/
ફૈક્સ : 0261-2895745

પ્રભારી અધિકારી,
અટિરા, વિદ્યુત કર્ધા સેવા કેન્દ્ર
સેઠ હુસૈન અલી હાઇસ્કૂલ કે પાસ,
ઢોલકા - 387 810
ફોન : 0271-4222307

પ્રભારી અધિકારી
મંત્રા- વિદ્યુત કરઘા સેવા કેન્દ્ર,
પ્લોટ નં. 5533/1,
રોડ નં. 57 ઔર 7 કા જંક્શન,
સેલ ફોર્સ ટાવર કે બાજુ મેં,
જી.આઇ.ડી.સી. એરિયા,
સચિન, જિલા- સૂરત - 394230
ફોન : 0261-2399425

પંજાਬ

સહાયક નિદેશક એવં પ્રભારી અધિકારી
વિદ્યુત કરઘા સેવા કેન્દ્ર,
પી.ઓ.રેયાન સિલક મિલ્સ,
પૉલીટેન્કીક રોડ, છેહત્તરા,
અમૃતસર - 143 104
ફોન : 0183-2258472
ફૈક્સ : 0183-2258472
ઈ મેલ : amritsar-psc@nic.in / amritsarpSC@gmail.com

પ્રભારી અધિકારી
નિદ્રા, વિદ્યુત કર્ધા સેવા કેન્દ્ર ,
835-પી, ઇંડસ્ટ્રીયલ એરિયા-એ,
હોટેલ ઝૂમ સ્ટ્રીટ,
આર કે મશીન ટૂલ્સ કે પીછે,
લુધિયાના -141003
ફોન : 0161-2221871

ଓડીસા

સહાયક નિદેશક એવં પ્રભારી અધિકારી
વિદ્યુત કરઘા સેવા કેન્દ્ર,
આય.ટી.ટી. બિલ્ડિંગ, ચૌદુવાર,
કટક - 754 025 (ଉડિસા)

विद्युत करघा सेवा केन्द्र

असम

प्रभारी अधिकारी
अजिरा, क्षेत्रीय केन्द्र, गौहाटी,
मीनाक्षी भवन, तीसरा माला,
212 राजगढ़ रोड़, (एनपीसी कार्यालय के ऊपर)
गौहाटी - 781007
फोन : 0361-2682016
ई-मेल : nerc@ijira.org

बिहार

प्रभारी अधिकारी
विद्युत करघा सेवा केन्द्र,
शशी भवन, जैन मंदिर के रोड़,
पो. नाथनगर, भागलपुर - 812 006
(बिहार)
फोन : 0641-2501498
ई-मेल : bhagalpur-psc@nic.in
pscbgp@gmail.com

पश्चिम बंगाल

प्रभारी अधिकारी
विद्युत करघा सेवा केन्द्र, मिलपाड़ा,
पो. ऑ. राणाघाट, जिला-नदीया - 741 201
फोन : 03473-284350
ई-मेल : ranaghat-psc@nic.in

मणिपूर

प्रभारी अधिकारी,
पावरलूम तथा अलाईड सर्विस सेंटर,
(मणिपूर सरकार द्वारा चालित)
टकेल इंडस्ट्रीयल इस्टेट, इम्फाल - 795001
फोन : 09774682920
ई-मेल : dirhandloom@gmail.com

राजस्थान

प्रभारी अधिकारी
टीएक्ससी-विद्युत करघा सेवा केन्द्र,
रुपानगर रोड, मदनगंज,
किशनगढ़ - 305 801
फोन : 01463-2251690
ई-मेल : kishangarh-psc@nic.in

प्रभारी अधिकारी ,
निट्रा - विद्युत करघा सेवा केन्द्र,
जी-20, रिको इंडस्ट्रियल एरिया,
पीयूआर रोड, भीलवाड़ा - 311001
फोन : 01482-260469

उत्तर प्रदेश

प्रभारी अधिकारी
विद्युत करघा सेवा केन्द्र,
निझापुदवीनपुरा,
मऊ नाथभंजन - 275 101
फोन : 0547-2220072
ई-मेल : mau-psc@nic.in

प्रभारी अधिकारी
निट्रा - विद्युत करघा सेवा केन्द्र,
पंचायत भवन, मकबरा रोड,
केशरीगंज, मेरठ - 250002
फोन : 0121-2400177

प्रभारी अधिकारी
निट्रा - विद्युत करघा सेवा केन्द्र,
छजियापुर सहकारी बैंक बिल्डिंग अहाता,
जिला- फैजाबाद - 224199, टांडा
फोन : 05273-224463
ई-मेल : nitraplsc-tanda224463@gmail.com

विद्युत करघा सेवा केन्द्र

प्रभारी अधिकारी

निट्रा - विद्युत करघा सेवा केन्द्र,
110 मिरपुर कैन्ट, सुजतगंज, कानपुर
टेलि-फैक्स : 0512-2320186
ई-मेल : nitraplsckanpur@gmail.com

प्रभारी अधिकारी

विद्युत करघा सेवा केन्द्र,
मध्यप्रदेश सरकार द्वारा चालित,
शहिद स्मारक भवन एरिया,
गोल बाजार, जबलपुर - 482002
फोन : 9827348307
फैक्स : 0732-2788232

प्रभारी अधिकारी

निट्रा - विद्युत करघा सेवा केन्द्र,
ए-2/1-6, सेक्टर 15, जीआयडीए इंडस्ट्रीयल एरिया,
सहजनवा, गोरखपुर - 273209
फोन : 0551-2580307
फैक्स : 0551-2580307

प्रभारी अधिकारी

अटिरा - विद्युत करघा सेवा केन्द्र,
श्री वैष्णो पॉलिटेक्निक,
एम. ओ. जी. लाईन्स,
इंदौर - 452009

प्रभारी अधिकारी

निट्रा - विद्युत करघा सेवा केन्द्र,
जिला औद्योगिक केन्द्र, कैम्पास,
लहरतारा, वाराणसी - 221002
फोन : 0542-29278544

महाराष्ट्र

प्रभारी अधिकारी

टीएक्ससी - विद्युत करघा सेवा केन्द्र,
औद्योगिक सहकारी संघ लि. किंदवाई रोड,
मालेगांव, नाशिक - 423 201 (महाराष्ट्र)
फोन : 042554-230203
ई-मेल : malegaon-psc@nic.in

हरियाणा

प्रभारी अधिकारी

निट्रा - विद्युत करघा सेवा केन्द्र,
प्लॉट नं. 98, सेक्टर 25, पार्ट II,
हुड़ा, पानिपत - 132103
ई-मेल : nitraplscpanipat@gmail.com

प्रभारी अधिकारी,

विद्युत करघा सेवा केन्द्र,
वेस्ट वींग, दूसरा तल, न्यू सेक्रेटियेट बिल्डिंग,
सिव्हील लाईन्स, नागपूर - 440 001
फोन : 09702026770
ई-मेल : pscnagpur2015@gmail.com

मध्य प्रदेश

प्रभारी अधिकारी

विद्युत करघा सेवा केन्द्र,
9, इंडस्ट्रीयल इस्टेट,
बुरहानपुर - 450 331
फोन : 07325-245934
ई-मेल : txcpscbrn@gmail.com

प्रभारी अधिकारी

बिट्रा - विद्युत करघा सेवा केन्द्र,
सोमवार पेठ, एडीजी पोस्ट ऑफिस,
माधवनगर, 416406
जिला - सांगली
फोन : 0233-2311490

विद्युत करघा सेवा केन्द्र

प्रभारी अधिकारी

बिट्रा - विद्युत करघा सेवा केन्द्र,
लोहती कंपाउड, दो पाणी टंकी के पास,
अक्कलकोट रोड, एमआयडीसी ,
सोलापुर - 413006
फोन : 0217-2655295

प्रभारी अधिकारी

बिट्रा - विद्युत करघा सेवा केन्द्र,
18/231 इंडस्ट्रियल इस्टेट,
कमल लक्ष्मी मंगल कार्यालय के पास,
जिला कोल्हापुर, इंचलकरंजी - 416115
फैक्स : 0230-2437559
ई-मेल : btrapscli@bom6.vsnl.net.in

प्रभारी अधिकारी

ससमिरा- विद्युत करघा सेवा केन्द्र,
ससमदिया हायस्कूल, सम्मद नगर,
कानेरी, भिवंडी
फोन : 052522-226733
फैक्स : 02522-259723

प्रभारी अधिकारी

ससमिरा- विद्युत करघा सेवा केन्द्र,
ससमदिया हायस्कूल, सम्मद नगर,
कानेरी, भिवंडी
फोन : 052522-226733
फैक्स : 02522-259723

तमिलनाडू

प्रभारी अधिकारी

टीएक्ससी-विद्युत करघा सेवा केन्द्र,
2/218, ए. जगन्नाथपुरम कॉलोनी,
सुरमपटी, इरोड - 638 009
फोन : 0424-2271357
ई-मेल : adpscrode@gmail.com

प्रभारी अधिकारी

सिट्रा - विद्युत करघा सेवा केन्द्र,
10- बी, पुगलेंती रोड, कॉटन मार्केट,
राजपलयम - 626117
टेलि : 04563-226487
ई-मेल : sitrapscripm@gmail.com

प्रभारी अधिकारी

सिट्रा - विद्युत करघा सेवा केन्द्र,
शिवाजी टेक्सटाइल बिल्डिंग,
4 नं. राघवेन्द्र रोड, कुमारपाल्यम,
जिला-नमक्कल - 638183
टेलिफैक्स : 04288-261019
ई-मेल : sitra_kpm@rediffmail.com

प्रभारी अधिकारी

सिट्रा - विद्युत करघा सेवा केन्द्र,
2/363 - बी कोंगू वेल्लालर, कल्याण मंडपम्
कलीवेल्मपट्टी पिरिवू, त्रिची रोड,
पल्लाडम् - 641 662
फोन : 04255-253153
फैक्स : 04255-253153
ई-मेल : plsc_alladam@yahoo.co.in

प्रभारी अधिकारी

सिट्रा - विद्युत करघा सेवा केन्द्र,
1/1 सणरपाल्यम् रोड,
बीएसएनएल टेलिकॉम के पास,
इरोड मेन रोड, तिरुचनगोड - 637209
फोन : 04288-255104
फैक्स : 04288-255104
ई-मेल : sitrapsctgode@gmail.com

विद्युत करघा सेवा केन्द्र

प्रभारी अधिकारी

सिट्रा - विद्युत करघा सेवा केन्द्र,
जे के के नटराज निलयम,
1 माला, पुराना नं. 158, नया नं. 477,
त्रिची मेन रोड, गुर्गई, सालेम - 636006
फोन : 0427-2219486
ई-मेल : sitraplscsalem@gmail.com

प्रभारी अधिकारी

सिट्रा - विद्युत करघा सेवा केन्द्र,
24 नाचिमूतू स्ट्रीट , गणेशपुरम्,
सोमानुर, कोयम्बतूर - 641668
फोन : 0421-2333158
फैक्स : 0421-2333158
ई मेल : sitrapsccsmr@yahoo.co.in

प्रभारी अधिकारी

सिट्रा - विद्युत करघा सेवा केन्द्र,
3-ए, रामकृष्णपुरम् नार्थ , करुर - 639001
फोन : 04324-230829
फैक्स : 04324-230829
ई-मेल : kru_cadkarur@gmail.com

केरला

प्रभारी अधिकारी

टीएक्ससी - विद्युत करघा सेवा केन्द्र,
MY/19/525 A, मिनी इंडस्ट्रीयल इस्टेट,
म्युनिसिपल बिल्डिंग, सिटी पोलीस स्टेशन के पास,
मराक्कार कैंडी, पी.ओ. थरुयील,
कन्नूर - 670 003
फोन : 0497-2734950
ई मेल : kannur-psc@nic.in

आंध्रप्रदेश

प्रभारी अधिकारी

टीएक्ससी - विद्युत करघा सेवा केन्द्र,
एस.नं.183/1, पालिपत मेन रोड,
पुड्हपेट, नागरी मंडल, जिला - चित्तोर - 571 590
फोन : 08577 - 235135
मेल : nagari-psc@nic.in

तेलगांना

प्रभारी अधिकारी

टीएक्ससी - विद्युत करघा सेवा केन्द्र,
डी. आय. सी. कॅम्पस, आर. टी. सी.
ठैर मार्ग, मुशीराबाद, हैदराबाद - 500 020
फोन : 040-27627885
फैक्स : 040-27627885
ई-मेल : hyderabad-psc@nic.in

कर्नाटक

प्रभारी अधिकारी

केएसटीआयडीसी-विद्युत करघा सेवा केन्द्र,
4910, तालुक कार्यालय के पीछे
डोडबल्लापुर - 561203,
जिला - बैगलूरु - 561203
फोन : 080-3404577

प्रभारी अधिकारी

केएसटीआयडीसी - विद्युत करघा सेवा केन्द्र,
केएसटीआयडीसी, बी-90, इंडस्ट्रीयल इस्टेट,
वेस्ट ऑफ कोर्ड रोड, बैगलूरु - 560010
फोन : 080-23404579
ई-मेल : pscbangalore@gmail.com

प्रभारी अधिकारी

केएसटीआयडीसी-विद्युत करघा सेवा केन्द्र,
शेड नं. सी-51 तथा सी-52,
इंडस्ट्रीयल इस्टेट, बेलगाम - 590008
फोन : 0831-2440728

प्रभारी अधिकारी

केएसटीआयडीसी - विद्युत करघा सेवा केन्द्र,
शेड नं. 54, केएसटीआयडीसी पार्क, बेटागिरी - 582102
फोन : 08372-210466



वस्त्र आयुक्त कार्यालय

भारत सरकार, वस्त्र मंत्रालय

48, विठ्ठलदास ठाकरसी मार्ग,
निष्ठा भवन, मुंबई - 400020

फोन : 022 - 221050 | फैक्स : 022 - 22004693

ई-मेल : pdc.otxc@gmail.com | www.txcindia.gov.in